Uploaded in 10-2-2016

SM 188

भारत सरकार **BHARAT SARKAR**
रेल मंत्रालय **MINISTRY OF RAILWAYS**
रेलवे बोर्ड **RAILWAY BOARD**

No. 99/RS(G)/709/1 **New Delhi, dated: 10.2.2016**

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/NDLS, RWP/Bela

Sub: Procurement of spares for 140 MT crane manufactured by Jamalpur & Parel

Ref: (i) Letter no. 99/RS(G)/709/1 dated 6.9.1999
(ii) Letter no. 99/RS(G)/709/1 dated 16.09.1999
(iii) Letter no. 99/RS(G)/709/2-IC dated 17.07.2000

1. An issue about the procurement of spares for 140 MT crane manufactured by Jamalpur/Parel workshops was raised before Board. It has been noted that it was decided by Board in 2003 that approved list of spares will also be prepared for 140 MT crane.

2. The aspect of procurement from approved list was specifically dealt in Board letter dated 17.07.2000 and subsequently amplified in various other circulars. However, that letter did not mention spares for 140 MT crane.

2.1 Accordingly, the 140 MT crane is considered to be included in the scope of item indicated in the letter. The scope of item included in Board letter dated 17.07.2000 is modified to include "spares required for the maintenance and production of rolling stock i.e. 140 MT crane manufactured by Jamalpur and Parel workshops will be procured from the sources approved by Jamalpur and Parel workshop respectively".

This is issued with the concurrence of the Finance Directorate of Ministry of Railways.

10/2/16

(Neeraj Dohare)
Director. Rly. Stores(IC)
Railway Board

No. 99/RS(G)/709/1 **New Delhi, dated: 10.2.2016**

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units
2. PCEs, All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RCF/RBL, COFMOW, DMW

3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways

for Financial Commissioner / Railways

No. 99/RS(G)/709/1 **New Delhi, dated: 10.2.2016**

1. COSs, CMEs, CEEs, CSTEs, All Indian Railways & PUs, RCF/RBL/NDLS, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. The Directors–
   a) Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
   b) Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
   c) Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
   d) Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
   e) Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
   f) Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
3. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata
4. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
5. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
6. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

(Neeraj Dohare)
Director. Rly. Stores(IC)
Railway Board

No. 99/RS(G)/709/1 **New Delhi, dated: 10.2.2016**

Copy to :

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan

(Neeraj Dohare)
Director, Rly. Stores(IC)
Railway Board)

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to :

1. MR, MOS(R)
2. CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, SECY., DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं.99/आरएस (जी)/709/1 नई दिल्ली, दिनांक 10.02.2016

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण), कोर
महानिदेशक, अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ एवं एनएआईआर/वडोदरा
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीएमडब्ल्यू/पटियाला, डब्ल्यूपीओ/पटना, कॉफमो/नई दिल्ली, आरडब्ल्यूपी/बेला

विषयः- जमालपुर और परेल द्वारा निर्मित 140 एमटी क्रेन के लिए अतिरिक्त पुर्जों की खरीद

संदर्भः- (i) 06.09.1999 का पत्र सं. 99/आरएस(जी)709/1
(ii) 16.09.1999 का पत्र सं. 99/आरएस(जी)709/1
(iii) 17.07.2000 का पत्र सं. 99/आरएस(जी)709/2-आईसी

1. जमालपुर/परेल कारखानों द्वारा निर्मित किए गए 140 एमटी क्रेन के लिए अतिरिक्त कलपुर्जों की खरीद के बारे में एक मुद्दा बोर्ड के समक्ष उठाया गया था। यह पाया गया है कि बोर्ड ने 2003 में यह निर्णय लिया था कि 140 एमटी क्रेन के लिए कलपुर्जों की अनुमोदित सूची तैयार की जाएगी।

2. अनुमोदित सूची से खरीद के मुद्दे का उल्लेख बोर्ड के 17.07.2000 के पत्र में विशेष रूप से किया गया था। बाद में विभिन्न अन्य परिपत्रों में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया था। बहरहाल, उस पत्र में 140 एमटी क्रेन के लिए अतिरिक्त कलपुर्जों का उल्लेख नहीं किया गया था।

2.1 तदनुसार, उस पत्र में उल्लिखित मद की परिधि में 140 एमटी क्रेन को शामिल करने पर विचार किया गया। बोर्ड के दिनांक 17.07.2000 के पत्र में शामिल मदों की परिधि में "जमालपुर/परेल कारखानों द्वारा निर्मित चल स्टॉक अर्थात् 140 एमटी क्रेन के अनुरक्षण तथा उत्पादन के लिए अपेक्षित कलपुर्जों को क्रमशः जमालपुर और परेल कारखानों द्वारा अनुमोदित स्रोतों से खरीदा जाएगा" शामिल करने के लिए संशोधित किया जाता है।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(नीरज दोहरे)
निदेशक रेलवे भण्डार (आईसी)
रेलवे बोर्ड

सं.99/आरएस (जी)/709/1 नई दिल्ली, दिनांक 10.02.2016

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
2. पीसीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, डब्ल्यूपीओ/पटना, आरसीएफ/रायबरेली, कॉफमो, डीएमडब्ल्यू

3. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें

3/2/16

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं.99/आरएस (जी)/709/1 नई दिल्ली, दिनांक 10.02.2016

1. सीओएस, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आरसीएफ/आरबीएल/नई दिल्ली, कॉफमो, कोर, डब्ल्यूपीओ और आरडब्ल्यूपी/बेला।
2. निदेशकः-
   क) भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद।
   ख) भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर।
   ग) भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक।
   घ) वरिष्ठ प्रो. (सामग्री प्रबंधन), एनएआईआर, वडोदरा।
   ङ) भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे।
   च) भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ।
3. निदेशक, लौह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता।
4. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., लखनऊ।
5. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुकाडिया सर्कल, उदयपुर।

(नीरज दोहरे)
निदेशक रेलवे भण्डार (आईसी)
रेलवे बोर्ड

सं.99/आरएस (जी)/709/1 नई दिल्ली, दिनांक 10.02.2016

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 248, एवं एनएफआईआर, कमरा नं. 256-सी, रेल भवन।
2. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, फ्रोआ, कमरा नं. 256-डी और एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन।

(नीरज दोहरे)
निदेशक रेलवे भण्डार (आईसी)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषितः- वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव/प्रमुख निजी सचिव, निजी सचिवः

1. रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री
2. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य इंजीनियरी, सदस्य बिजली, सदस्य यांत्रिक, सदस्य कार्मिक, सदस्य यातायात, सचिव, महानिदेशक (रेल स्वास्थ्य सेवाएं), महानिदेशक (रेल सुरक्षा बल)
3. रेलवे बोर्ड के सभी अपर सदस्य, सलाहकार और कार्यपालक निदेशक